रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 339] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 14, 1981/आश्विन 22, 1903
No. 339] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 1981/ASVINA 22, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 1981

अधिसूचना

सा०का०नि० 555(अ).—केन्द्रीय सरकार, बर्मा आयल कम्पनी आयल इंडिया लिमिटेड के शेयरों तथा असम आयल कंपनी लिमिटेड और दि बर्मा आयल कंपनी (इंडिया ट्रेडिंग) लिमिटेड के भारत में उपक्रमों का अर्जन अधिनियम, 1981 (1981 का 41) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त कंपनी को एक सरकारी कंपनी के रूप में कृत्य करने के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए आयल इंडिया लिमिटेड के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. आयल इंडिया लिमिटेड के संगम ज्ञापन के खंड 3 में, —

(1) उपखंड (2) में—

(क) "(कच्चे तेल के परिष्करण को छोड़कर)" कोष्ठक और शब्दों के स्थान पर, "(जिसमें कच्चे तेल का परिष्करण भी है)" कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "द्रवित पेट्रोलियम गैस" शब्दों के पश्चात् "और अन्य सभी प्रकार के पेट्रोलियम उत्पाद" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे;

2. उपखंड (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अन्तःस्थापित किया जाएगा,अर्थात्:—

पेट्रोलियम उत्पाद आदि के परिष्करण विपणन का कारबार चलाना

"(2क) उनकी अपनी-अपनी सभी शाखाओं में सभी प्रकार के पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और वितरण करना तथा किसी एक या सभी प्रकार के पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों, तेल, गैस और अन्य वाष्पशील पदार्थों, एसफाल्ट, बिटूमोन, बिटूमिनी पदार्थों, कार्बन, कार्बन ब्लैक (कज्जल), हाइड्रोकार्बन, खनिज पदार्थों और उत्पादों, या ऐसे उपोत्पादों का जो उससे व्युत्पन्न, उत्पादित, तैयार, विकसित, सम्मिश्रित, बनाए या विनिर्मित किए जा सकें और पूर्ववर्ती किसी को भी अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करने से अभिप्राप्त पदार्थों का क्रय करना या उन्हें अन्यथा उपाप्त करना, उनका विनिर्माण करना, परिष्करण करना, अभिक्रियान्वयन करना, क्रय करना, आसवन करना, समिश्रण करना, शुद्ध करना और उनको पम्प करना, भण्डारित करना, धारण करना, परिवहन करना, उपयोग करना उनके साथ प्रयोग करना, उनका विपणन करना, वितरण करना, विनिमय करना, प्रदाय करना, विक्रय करना अन्यथा व्ययन करना, आयात करना, निर्यात करना व्यापार करना तथा साधारणतः उनका कारबार करना।"

(3) उपखंड(3) में,—

(क) "यथा पूर्वोक्त कोई ऐसे पदार्थ, और अन्य संबद्ध कारबार" शब्दों के स्थान पर "सभी प्रकार के पेट्रोलियम उत्पाद और अन्य संबद्ध कारबार" शब्द रखे जाएंगे ,

(ख) "(कच्चे तेल के परिष्करण को छोड़कर)" कोष्ठक और शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ग) दूसरी बार आने वाले "द्रवित पेट्रोलियम गैस" शब्दों के पश्चात् "और सभी प्रकार के पेट्रोलियम उत्पाद" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ,

(4) उपखंड (28) में, "और किसी ऐसे विधायन का जो चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी के हित में प्रतीत होता हो, पक्षमत करना या उसके उन्नयन में सहायता देना" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(5) उपखंड (32) का लोप किया जाएगा ।

2. आयल इंडिया लिमिटेड के संगम अनुच्छेद मे,—

(1) अनुच्छेद 3 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाएगा, अर्थात्:—

"3(क) ये अनुच्छेद बर्मा आयल कम्पनी [आयल इंडिया लिमिटेड के शेयरों तथा असम आयल कम्पनी और दि बर्मा आयल कम्पनी (इंडिया ट्रेडिंग) लिमिटेड के भारत में उपक्रमों का अर्जन] अधिनियम, 1981 और कम्पनी अधिनियम, 1956 या उसके किसी उपान्तरण के उपबन्धों के और उक्त अधिनियमों में से किसी एक के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई किसी अधिसूचना के अधीन रहते हुए होंगे ।

(ख) संप्रवर्तन करार तारीख 14 जनवरी, 1958, अनुपूरक करार, तारीख 16 फरवरी, 1959, अंगीकरण करार तारीख 14 मार्च, 1959 और द्वितीय अनुपूरक करार, तारीख 27 जुलाई, 1961 को 1 जनवरी, 1977 से समाप्त हो गया समझा जाएगा, परन्तु उक्त द्वितीय अनुपूरक करार का खंड 12, जहां तक उसका संबन्ध कम्पनी से है, कम्पनी के 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष तक, जिसमे वह वर्ष भी सम्मिलित है, प्रवृत्त बना रहेगा ।

(ग) निदेशक बोर्ड, पूर्वगामी निबन्धनों के अनुसार इन अनुच्छेदों को प्रभावी बनाएगा और उसके पश्चात् से कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अर्थान्तर्गत एक सरकारी कम्पनी होगी और उस रूप में प्रवर्तित होगी ।"

(2) अनुच्छेद 92 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाएगा, अर्थात्:—

"निदेशकों की संख्या"

"92 जब तक कि राष्ट्रपति अन्यथा अवधारित न करे, और अधिनियम की धारा 255 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निदेशक बोर्ड में अधिक से अधिक 10 निदेशक (जिनमें अध्यक्ष और वित्त निदेशक भी हैं) होंगे जिनमें से सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे, जो वह अवधि भी विहित करेंगे जिसके दौरान वे निदेशकों के रूप में पद धारण करेंगे, राष्ट्रपति उन्हें किसी भी समय हटा सकेंगे और किसी भी होने वाली रिक्ति को भर सकेंगे । निदेशकों का पारिश्रमिक और उनका सेवाकाल राष्ट्रपति द्वारा अवधारित किया जाएगा ।"

(3) अनुच्छेद, 93, 107 और 108 का लोप

(4) अनुच्छेद 95(क) के प्रथम दो वाक्यों का लोप किया जाएगा,

(5) अनुच्छेद 116 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाएगा, अर्थात्—

अध्यक्ष

'116 बोर्ड का अध्यक्ष बोर्ड के सभी अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा । यदि अनुच्छेद 92 के अधीन कोई अध्यक्ष नियुक्त नही किया जाता है या यदि बोर्ड के किसी अधिवेशन में उसे प्रारम्भ करने के लिए नियत समय के पश्चात् 15 मिनट के भीतर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित निदेशक अपने सदस्यों में से एक को ऐसे अधिवेशन का अध्यक्ष होने के लिए चुनेंगे ।"

(6) अनुच्छेद 117 में "परन्तु यह तब जब कि भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशकों में से कम से कम एक और दि बर्मा आयल कंपनी लिमिटेड द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशकों में से कम से कम एक उपस्थित हों "शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(7) अनुच्छेद 119 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाएगा, अर्थात्:—

प्रश्नों का विनिश्चय कैसे किया जाएगा ?

"119. निदेशकों के किसी अधिवेशन मे उद्भूत प्रश्नों का विनिश्चय बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष के पास द्वितीय या निर्णायक मत होगा ।"

(8) अनुच्छेद 120 में, "परन्तु यह कि ऐसी समिति का कम से कम एक निदेशक केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा और एक दि बर्मा आयल कम्पनी लिमिटेड द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ,

(9) अनुच्छेद 129 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाएगा, अर्थात्:—

"129 प्रबन्ध-निदेशक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी ।"

(10) अनुच्छेद 131 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाएगा, अर्थात्:—

'131. प्रबन्ध-निदेशक पारिश्रमिक के रूप में ऐसी रकम प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाए जो कि उसकी सेवा के निबन्धन और शर्तें, जिनके अन्तर्गत उसका सेवाकाल भी है, भी अवधारित करेंगे तथा अन्य सभी की बाबत पूर्वगामी अनुच्छेद 92 लागू होगा" ।

(11) अनुच्छेद 133 का लोप किया जाएगा ।

[सं० ओ० 20012/1/81–पी आर ओ डी]

पी० पी० खन्ना, संयुक्त सचिव

MINSTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Petroleum)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 1981

G.S.R. 555(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Burmah Oil Company Acquisition of Shares of Oil India Limited and of the Undertakings in India of Assam Oil Company Limited and The Burmah Oil Company (India Trading) Limited Act, 1981 (41 of 1981), the Central Government hereby makes the following amendments in the memorandum

and articles of association of Oil India Limited for the purpose of enabling the said Company to function as a Government company, namely :—

1. In the memorandum of association of Oil India Limited, in clause 3,—

(1) in sub-clause (2)—

(a) for the brackets and words "(except refining of crude oil)" the brackets and words "(including refining of crude oil)", shall be substituted;

(b) after the words "liquefied petroleum gas", the words "and all other kinds of petroleum products" shall be inserted;

(2) after sub-clause (2), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

To carry on business of refining, marketing of petroleum products etc.

"(2A) To carry on in all their respective branches the marketing and distribution of all kinds of petroleum products and to purchase or otherwise acquire, manufacture, refine, treat, reduce, distill, blend, purify and pump, store, hold, transport, use, experiment with, market, distribute, exchange, supply, sell and otherwise dispose of, import, export, and trade and generally deal in any and all kinds of petroleum and petroleum products, oil, gas and other volatile substances, asphalt, bitumen, bituminous substances, carbon, carbon-black, hydro-carbon and mineral substances and the products or the by products which may be derived, produced, prepared, developed, compounded, made or manufactured therefrom and substances obtained by mixing any of the foregoing with other substances.";

(3) in sub-clause (3)—

(a) for the words "any such substances as aforesaid, and other kindred businesses" the words "all kinds of petroleum products and other kindred businesses" shall be substituted;

(b) the brackets and words "(except refining of crude oil)" shall be omitted;

(c) after the words "liquefied petroleum gas" occurring in the second place, the words "and all kinds of petroleum products" shall be inserted;

(4) in sub clause (28), the words "and to promote or assist the promotion, whether directly or indirectly, of any legislation which may appear to be in the interest of the Company" shall be omitted;

(5) sub-clause (32) shall be omitted.

2. In the articles of association of Oil India Limited,—

(1) for article 3, the following article shall be substituted, namely :—

"3. (a) These Articles shall be subject to the provisions of the Burmah Oil Company (Acquisition of Shares of Oil India Limited and of the Undertakings in India of Assam Oil Company Limited and the Burmah Oil Company (India Trading) Limited Act, 1981, and the Companies Act, 1956 or any modifications thereof, and any notification issued by the Central Government under either of the said Acts.

(b) The Promotion Agreement dated 14th January, 1958, Supplemental Agreement dated 16th February, 1959, Adopting Agreement dated 14th March, 1959 and the Second Supplemental Agreement dated 27th July, 1961 shall be deemed to have been terminated with effect from 1st January, 1977, provided that clause 12 of the said Second Supplemental Agreement shall, in so far as it relates to the Company, continue in force, upto and inclusive of the financial year of the Company ending on 31st March, 1982.

(c) The Board of Directors shall carry into effect these Articles in terms of the foregoing, and the Company shall henceforth be and shall operate as a Government Company within the meaning of the Companies Act, 1956";

(2) for article 92, the following article shall be substituted, namely :—

Number of Directors

"92. Unless otherwise determined by the President and subject to the provisions of Section 255 of the Act, the Board of Directors shall consist of not more than 10 Directors (including the Chairman and Finance Director) all of whom shall be appointed by the President of India who will prescribe the period for which they will hold office as Directors and may at any time remove them and appoint others in their places and fill in any vacancy that may occur. The remuneration and terms of service of the Directors will be determined by the President"

(3) articles 93, 107 and 108 shall be omitted;

(4) the first two sentences of article 95 (a) shall be omitted;

(5) for article 116, the following article shall be substituted, namely :—

Chairman

"116. The Chairman of the Board shall preside over all the meetings of the Board. If no Chairman is appointed under Article 92 or if at any meeting of the Board the Chairman is not present within 15 minutes after the time appointed for holding the same, the Directors present shall choose one of their number to be Chairman of such meeting."

(6) in article 117, the words "provided however that at least one Director from those nominated by the Government of India and one Director from those nominated by The Burmah Oil Company Limited are present" shall be omitted;

(7) for article 119, the following article shall be substituted, namely :—

How Questions to be decided

"119. Questions arising at any meeting of Directors shall be decided by a majority of votes, and in case of equality of votes, the Chairman shall have a second or casting vote."

(8) in article 120, the words "provided that there shall be at least one Director nominated by the Central Government and one nominated by The Burmah Oil Company Limited on such Committee." shall be omitted ;

(9) for article 129, the following article shall be substituted, namely :—

"129. The Managing Director shall be appointed by the President of India."

(10) for article 131, the following article shall be substituted, namely :—

Remuneration of Managing Director

"131. The Managing Director shall receive by way of remuneration such sum as may be fixed by the President who shall also determine the terms and conditions including tenure of his service and in all other respects the foregoing Article 92 shall apply." ;

(11) article 133 shall be omitted.

[No. O-20012/1/81-Prod.]

P. P. KHANNA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION, DELHI-110054, 1981